



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं० - 05964-244117

फैक्स नं० -05964-244622

ई-मेल-eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 862/2721
सेवा में,

दिनांक 24/05/24

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में पक्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/37053/2018)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०६/९१/२०२० /एफ०सी० /१४३२ दि० ०९-०२-२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :-

क्र. सं०	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० -4 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि रू० 4406315.76 है, जबकि परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 के पैरा 13 में रू० 4005746.00 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अपलोड की गई है। राज्य सरकार कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें साथ ही सही जानकारी/दस्तावेज प्रेषित /अपलोड करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० -4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिमाण्ड नोट के अनुसार देयक आ०डी० W03801422902221000 date 09-02-2022 द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि रू० 3902580.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू० 4406315.76 कुल धनराशि रू० 8308896.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किये गये है। हार्डकापी पॉच-पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। धनराशि रू० 4406315.76 की संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम परिवेश पोर्टल के पार्ट -2, के पैरा 13 में अपलोड कर दी गई है। हार्डकापी पॉच-पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित अधिसूचना की प्रति प्रदान करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित अधिसूचना की प्रति यथा स्थान अपलोड कर दी गई है। हार्डकापी पॉच-पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

24/5/24
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग
24/5/24



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/PHONE-0135-2650809. ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/सू.सी.पी./06/91/2020/एफ.सी./1432

दिनांक: 09/02/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जलपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट पर्यावरण चरणाल मोटर मार्ग से नैनी जागेधर बाया सैरागडा
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 हे० वन भूमि का गैर यान्त्रिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को
प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/37053/2018)

सन्दर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक
784/FP/UK/ROAD/37053/2018 दिनांक 20-09-2022 (received online on 28.12.2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यातपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ
है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 05.08.2021 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की गई सैदान्तिक स्वीकृति की
अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या में निम्नलिखित बिन्दुओं का
गया है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम
कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. सैदान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या 4 के संदर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु
जमा की गई धनराशि रु. 4406315.76 है जबकि परिवेश पोर्टल के पार्ट-2 के पैरा 13 में रु.
4005746.00 की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना अपलोड की गई है। राज्य सरकार कृपया इन
संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें साथ ही सही जानकारी / दस्तावेज प्रेषित / अपलोड करने का
कष्ट करें।
2. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल स्वयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित अधिसूचना
की प्रति प्रदान करें।

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

Signed by Neelima Shah

भवदीया

Date: 09-02-2024 11:05:41

0/c

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39)-15/2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील बेरीजाग अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम रैतोली पट्टी खितौली के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-11 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 724 रकवा 0.031 है0, 726 रकवा 0.050 है0, 762 रकवा 0.025 है0, 820 रकवा 0.030 है0, 821 रकवा 0.031 है0, 822 रकवा 0.050 है0, 823 रकवा 0.080 है0, 871 रकवा 0.006 है0, 880 रकवा 0.005 है0, 914 रकवा 0.040 है0, 934 रकवा 0.030 है0, 962 रकवा 0.005 है0, 989 रकवा 0.030 है0, 1002 रकवा 0.031 है0, 1003 रकवा 0.026 है0, 3082 रकवा 0.003 है0, 3083 रकवा 0.048 है0, 3099 रकवा 0.020 है0, 3215 रकवा 0.040 है0, 3227 रकवा 0.005 है0, 3317 रकवा 0.010 है0, 3355 रकवा 0.003 है0, 3374 रकवा 0.146 है0, 3388 रकवा 0.160 है0 कुल 24 खेत रकवा 0.905 है0 तथा खाता संख्या-22 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 3326 रकवा 0.010 है0, 3405 रकवा 0.005 कुल 02 खेतों की 0.015 है0 इस प्रकार उक्त दो खातों के कुल 26 खेतों की 0.920 है0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा जिला योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29.07.2012 के क्रम में निम्न लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमनय होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।
दिनांक नवम्बर 20, 2017





(सी० रविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
SIO


कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-395/सात-8/2017-18

दिनांक नवम्बर 29, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. उय जिलाधिकारी बेरीनाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।







(सी० रविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
SIO

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 836 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24 अगस्त, 2021



सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
बेरीनाग, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/91/2020/एफ.सी./504 दिनांक 05.08.2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1549/27सी0 दिनांक 16.08.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	5.94 हे0	6,57,000 /- (ईको क्लास-V) घनत्व 0.2	39,02,580.00 /-
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	11.88 हे0	3,70,902.00	44,06,315.76 /-
			योग	83,08,895.76 /-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

Handwritten signature and date: 28/08/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

9-2-2022

ID - WO3801422902221000

आकस्मिक देयक प्रपत्र
 वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - 1
 (देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

का नाम : पिथौरागढ़
 का नाम : बेरीनाग
 ने अवधि कब से कब तक
 कोड
 उपकोषागार का कोड
 की क्रम संख्या
 संख्या कोषागार द्वारा भरा जाना है

1	0	3	
3	8	0	1
2	2		
0			

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण
 मुख्य लेखाशीर्षक - (5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
 उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04) District and other Roads
 तृतीय शीर्षक - (337) सड़क निर्माण कार्य
 उपशीर्षक - (03) राज् रोक्टर
 ब्योरेवार शीर्षक - (04) एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)
 वाउचर दिनांक

भारत : मतदेय
 शीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 लघुशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)
 अतिरिक्त शीर्षक विभाग अतिरिक्त शीर्षक विभाग अतिरिक्त शीर्षक विभाग अतिरिक्त शीर्षक विभाग
 स्थान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्साई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
 दान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य 14- सोर्स कोड : 1 15- सेक्टर कोड : 2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिनिधि संतान करें)
 अनुदान संख्या

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	2	2	9
---	---	---	---

बजट की वर्तमान स्थिति			
क मद्र का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
मि क्रम	24242297	19793104	4449193

भुगतान का विवरण	
मानक मद्र का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	83,08,896
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम सन्नायोजन के बाद)	83,08,896


FOR OFFICIAL USE	
कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियों	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	83,08,896

मत किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।
 अधिशासी अभियंता अस्साई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
 निबंधक/प्रतिहस्ताक्षरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
 (केवल काउन्टरसाईड कटौतियों के प्रकरण में ही लागू होगा)
 (पदाभ्यर्थात् एवं कागजातों के साथ)

रुपय 83,08,896 (Rupees Eighty Three Lacs Eight Thousand Eight Hundred Ninety Six Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर


Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
801422902221001 Ittaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137053342	8308896	0	0	8308896
				8308896	0	0	8308896


भाधशाही अमित्या
बम्बई सण्ड, लोक निर्माण विभाग
के विभाग (विद्योरायक)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 836 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24 अगस्त, 2021



सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
बेरीनाग, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/91/2020/एफ.सी./504 दिनांक 05.08.2021 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1549/27सी0 दिनांक 16.08.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	5.94 हे0	6,57,000 /- (ईको क्लास-V) घनत्व 0.2	39,02,580.00 /-
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	11.88 हे0	3,70,902.00	44,06,315.76 /-
योग				83,08,895.76 /-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


उपरोक्त कार्य गंगोलीहाट वी. सि. वि. वि. में
29/08/2021


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 5.94 हे० वन भूमि वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उक्त परियोजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुनतोला, पट्टी चौड़ियार तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं०-86 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नं० 3822 रकवा 0.632 हे०, 3823 रकवा 1.938 हे०, 3859 रकवा 1.128 हे०, 3860 रकवा 0.512 हे०, 3861 रकवा 0.492 हे०, 3862 रकवा 0.595 हे०, 3864 रकवा 0.190 हे०, 6059 रकवा 1.773 हे०, 6060 रकवा 3.259 हे०, 6061 रकवा 1.192 हे०, 6063 मध्ये रकवा 0.169 हे० कुल 11 खेतों की 11.88 हे० सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1852/सात-57/2021-22 दिनांक 30.06.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।


प्रभाषिय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग


व.द.

वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में पक्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग में पड़ने वाली 5.94 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षे०- 5.94 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल- 11.88 हे०

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- कुन्तोला

प्रस्तावित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1100

प्रथम चरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे०	147	हे०	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	हे०	887	हे०	532.2
3	लैंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़	0.4	हे०	6608.68	हे०	2643.472
ब	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे०	2202.5	हे०	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे०	11700	हे०	11700
5	कंदूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	11.14	प्रति हे०	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 100घन मी० प्र०हे०	100	घन मी०	478	प्रति घन मी०	47800
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे०	11.14	हे०	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे०	737	हे०	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे०	8.7	हे०	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1	हे०	470	हे०	470
	योग प्रथम चरण					95381.672

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरण का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध डुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गड्डे	3.13	गड्डे	3443
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी०	1.05		630
6	निराई गुडाई व मल्लिचंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गड्डे	2.3	गड्डे	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है०	0.32	है०	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	7235	है०	7235
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000		11.14		11140
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कन्दूर फरें खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र०मी०	11.14	प्रति र०मी०	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	35	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	8069.25
	योग तृतीय चरण					31036.25

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	5	संख्या	4500	प्रति	22500
	योग चतुर्थ चरण					34327

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	5	संख्या	4500	प्रति	22500
	योग पंचम चरण					34327

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	36	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	8299.8
	योग षष्ठम चरण					42626.8

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	5	संख्या	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					34327

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग अष्टम चरण					22201.75

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग नवम् चरण					22201.75

दशम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	योग दशम चरण					11827
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	371040.72 370902

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

370902 रू०

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

11.88 है०

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 11.88 है० X 370902 = 4406315.76

या 4406316.00

S. S. S.
(निष्पत्ति सहा)
प० द०
नामिका जगुह

A.
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

S. S. S.
वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग